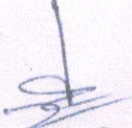
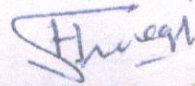
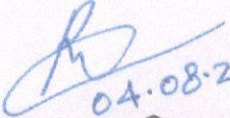


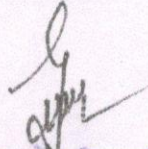
स्थलीय संयुक्त निरीक्षण

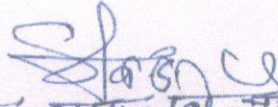
आज दिनांक 04.08.2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लाईन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.20 हेक्टेयर सिविल भूमि खाता सं0 226 खसरा नं0 228 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। ग्राम घिसरपड़ी परगना परवादून तहसील डोईवाला के अन्तर्गत उक्त भूमि नदी श्रेणी 6(1), जलमग्न भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लेखित शर्तों के अधीन मात्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग को आवंटित/हस्तान्तरण किया जा सकता। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त चयनित भूमि खाली है और वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गई है। स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त भूमि पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।


राजस्व उपनिरीक्षक
मारखम ग्रान्ट-2
डोईवाला


ह.सिंह
वन बीट अधिकारी
बनवाह बीट


04.08.2020
अपर सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि, ऋषिकेश


वन क्षेत्राधिकारी
लच्छीवाला रेंज
देहरादून वन प्रभाग


सत्य-पति-वि-जी-जी
वन दरोगा
बनवाह ब्लाक